Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor : 2.0778, Volume 07, No. 01, January, 2017, pp. 314-320

प्रजातंत्र और महिलाएं : भारतीय चुनावी परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

डॉ. माधुरी तिवारी*

विश्व वर्तमान में महिलाओं को अधिकारों से सुसज्जित करने पर बल दिया जा रहा है महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं प्रयत्नशील है अतः वे इस उद्देश्य की सिद्धि हेतु आन्दोलित भी है। हम विश्व–स्तर पर महिला सशक्तिकरण वर्ष मना चुके हैं लेकिन महिलाओं की राजनैतिक स्थिति आज भी जैसी की तैसी है, उनकी न तो राजनीति में प्रभावी उपस्थिति है और न ही सत्ता में भागीदारी। महिलाओं को चौके से संसद तक लाने की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन उनकी जिंदगी घर–परिवार, चूल्हें–चौके और '*ग्लैमर–आर्टीकल*' तक ही सिमटी रहती है। महिलाओं की राजनीतिक डगर में, उनमें राजनैतिक चेतना की कमी के अतिरिक्त और भी ढेरों कांटे हैं। '*मनी, मसल्स और मैन–पॉवर*' की तिकड़ी ने आज हमारी समूची चुनाव प्रणाली को ध्वस्त करके रख दिया है। राजनीति में धन और अपराध के बढ़ते प्रभाव के कारण आज हमारा चुनावी तंत्र गड़बडा गया है फलस्वरूप आम लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा है। इस चुनावी प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव महिलाओं की राजनैतिक डगर पर पड़ा है। धन–बल और बाहु–बल के अभाव में महिलाएं चुनावी वैतरणी पार करने में असमर्थ होती है जिस कारण आश्वासन के बावजूद सत्ता में भागीदारी का सपना संमूर्तित नहीं हो पा रहा है। राजनीति के मूल्यहीन चरित्र के कारण आज संभ्रांत महिलाएं राजनीति के कुरूक्षेत्र में आने में संकोच करती हैं।

संसद में महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्वभर में 65वां है। एशिया में तो भारत इस मामले में ग्यारहवें स्थान पर है। विश्व संदर्भ में देखें तो महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिशत स्वीडन में राजनैतिक रूप से सक्रिय है। वहां के कुल 349 सासंदों में से 141 महिलाएं हैं अर्थात् वहां की राजनीति में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 40.4 फीसदी है। इस मामले में सबसे नीचे मोरक्कों है जहां राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 0.6 फीसदी ही है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे अतिआधुनिक व विकसित देशों में भी महिला राजनीतिज्ञों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका में 11.7 फीसदी, इंग्लैण्ड में 9.4 फीसदी, फ्रांस में 6.4 फीसदी और रूस में 10.2 फीसदी महिलाएं ही राजनीतिक पदों पर या व्यवस्थापिकाओं में हैं।

सन् 1992 में भारतीय संविधान संशोधन किया गया और त्रि–स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण और अलग से सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। पंचायतों में महिला–आरक्षण को एक शुरूआत माना गया था और तब सोचा गया था कि यह महिला–आरक्षण धीरे–धीरे संसद और राज्य विधानमंडलों तक में दिया जाएगा। सन् 1992 में सविधान में किए गए 72वें

* राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

और 73वें संशोधन 24 अप्रैल, 1993 से लागू हो गए थें। इस संशोधनों के बाद गांवों के पंचायती और शहरों के स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक मान्यता मिल गई। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए इन अधिनियमों में व्यवस्था की गई थी कि शहरी निकायों व पंचायतों के चुनाव एक निश्चित समय पर कराए जाएगे और उनमें पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जाति व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसके आलवा महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई स्थान दिए जाने का प्रावधान है। इससे भी आगे जाकर इस महिला आरक्षण कानून में प्रावधान है कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों में भी दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलेगा।

'**डमी**' महिला राजनीतिज्ञ : राजनीति में महिलाओं की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। आजादी से पूर्व भी महिलाएं राजनीति में काफी सक्रिय रही है। आजादी के बाद समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की किरण चमकी और हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धीरे–धीरे प्रगति करते गए लेकिन महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता इसका अपवाद है। वास्तव में आजादी के बाद समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की किरण चमकी और हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धीरे–धीरे प्रगति करते गए लेकिन महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता इसका अपवाद है। वास्तव में आजादी के बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदरी शने–शनै कम होती गई, उनकी राजनैतिक स्थिति क्षरण का शिकार होती गई। आज भी राजनीति में बहुत सी महिलाएं हैं लेकिन अगर कुछ एक नामों को छोड दें तो अधिकतर महिला राजनीतिज्ञ आज 'डमी' ही साबित हो रही हैं। उनके द्वारा लिए जाने वाले राजनैतिक निर्णयों के पीछे किसी ओर की सोच, किसी और के विचार होते हैं, वे तो मात्र कठपुतलियों की मानिंद दूसरों के इशारों पर नाचती हैं।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थिति फिर भी बहुत सकारात्मक है, आशाजनक है और हम उस पर संतोष कर सकते हैं लेकिन निचले स्तरों पर स्थिति बेहद खराब है। सवाल यह है कि राजनीति में महिलाएं 'डमी' क्यों है, क्यों वे किसी दूसरे के इशारों पर नाचती रहती हैं, क्यों वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पातीं, क्यों वे कोई अन्तिम फैसला लेने से पहले पुरूषों को मुंह ताकती हैं ? महिलाओं की इस स्थिति के लिए अपने को कमजोर मानने वाली महिलाएं तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पुरूषों की सामंती प्रवृत्ति भी हें, तो जिम्मेदार वो 'घुट्टी' भी है जो लड़कियों को बचपन में ही पिला दी जाती है। हमने महिलाओं को संस्कार तो दिए लेकिन विचार नहीं दिए, उन्हें शिक्षित तो बनाया गया लेकिन जागरूक नहीं किया गया। वास्तव में आज महिलाओं को राजनैतिक रूप से जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे चुनावी समर में विजयश्री पाकर राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर ही हमने समग्र लिया था कि अब महिलाएं भी आगे बढ़ सकेगी, वे भी आगे बढ़ कर राजनीति में भागीदारी करेंगी, सत्ता में हिस्सेदारी करेंगी लेकिन हुआ क्या, हम सभी जानते हैं। निर्वाचित महिला सदस्यों के पति या अन्य पुरूष रिश्तेदारों ने ही उनके नाम पर राजनीति की। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि महिला ब्लाक प्रमुखों की पतिदेव ही बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अधिकतर मामलों में महिलाएं घूंघट निकाल कर या बुर्का पहन कर, पुरूष रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतली ही बनी रहती हैं। लोकतंत्र के इस मखौल का कारण अशिक्षा के साथ–साथ राजनीति के पति उदासीनता भी है लेकिन ऐसा नहीं है कि अशिक्षित व ग्रामीण औरतें ही मर्दो के हाथ का खिलौना बनी हैं, उदाहरण के लिए, अल्कानाथ और लवली आनंद के नामों का उल्लेख ही पर्याप्त होगा।

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बाहुबलियों और लुटेरों को रूप धारण कर चुके राजनीतिक दलों में किस प्रकार महिलाएं अपना अस्तित्व व अस्मिता बचाए रख पाएंगी ? राजनीति का अपराधीकरण

या फिर कहें कि अपराधियों के राजनीतिकरण के कारण आज चुनावी मैदान में कैसे–कैसे लोग उतर रहे हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इस घालमेल का राज, बोहरा समिति काफी पहले ही खोल चुकी है। राजनैतिक सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता चुनाव लड़ना और बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होता है। लोकतंत्र में चुनाव लड़े और जीते बिना राजनैतिक सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता ओर चुनाव लड़ना और जीतना मात्र योग्यता के अपराधियों के साथ की। चुनाव में धन और बाहुबल का अत्याधिक महत्व है इसलिए हमारी निर्वाचन प्रणाल आज अमीरों और बाहुबलियों के इशारों पर नाचती नजर आती है। आज चुनाव जीतना वास्तव में एक व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चुनाव कोष के रूप में पूंजी–निवेश की ओर विशिष्ठ प्रकार के कर्मचारियों के एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। महिलाएं आर्थिक रूप से कम ही आत्मनिर्भर है इसलिए चुनावों के लिए भारी मात्रा में काले धन का जुगाड़ कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जिस कारण चुनावी दौड़ में वे पीछे रह जाती है।

महिलाएं स्वभाव से ही कोमल और संवेदनशील होती हैं। अपराध और अपराधी, उनकी मानसिकता और उनके 'मूड' से मेल नहीं खाते हैं। अपराध और अपराधियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखना, एक आम भारतीय महिला पंसद नहीं करती है। अब जब अपराधियों का साथ ही नहीं होगा तो भला चुनावों में सफलता कैसे मिलेगी, सत्ता में भागीदारी कैसे मिलेगी ? आज जिस तरह के लोग संसद और विधानसभाओं में चुन कर आ रहे हैं उससे आम लोगों के बीच इन संस्थाओं की गरिमा गिरी है। जब संसद मे मंत्रियों के हाथ से विधेयक लेकर फाड़ दिए जाते हैं, सदन में विधायक एक–दूसरे पर माइकों से हमला करते हैं और हमारे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर बलात्कार व अपहरण के मुकदमें चल रहे होते हैं, तो ऐसी स्थितियां महिलाओं को राजनीति में आने से रोकती हैं, उन्हें हतोत्साहित करती हैं। ऐसे विपरीत माहौल में महिलाएं राजनीति में आने से डरती हैं और अगर कुछ महिलाएं हिम्मत करके आगे आती भी हैं तो वे आज के आपराधिक राजनीतिक माहौल से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती हैं और धीरे–धीरे राजनैतिक धारा से बाहर हो जाती हैं उससे कट जाती हैं।

महिलाओं की राजनैतिक यात्रा बहुत कठिन है, उसके राज में पत्थर ही पत्थर है, कांटे ही कांटे बिछे हैं लेकिन फिर भी आज महिलाएं राजनीति में अपना स्थान बना रही हैं, अपनी हैसियत गढ़ रही हैं। राजनीति में महिलाओं की सफलता आज उल्लेखनीय है, उनकी प्रगति रेखांकित करने योग्य है। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, उमा भारती, मायावती, सुमित्रा महाजन, माग्रेट आल्वा, वसुंधरा राजे सिंधिया, अंबिका सोनी आदि कुशल राजनीतिज्ञों की राजनैतिक पटल पर उपस्थिति सुकून देने को पर्याप्त है लेकिन इतने भर से ही हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है। राजनीति और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी तभी सार्थक होगी जब गांव की गलियों से होती हुई कोई आम भारतीय महिला राजनैतिक गलियारों में पहुंचेगी।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने हेतु सूझाव

महिलाओं का राष्ट्र के विकास में समुचित योगदान हो सके, नारी शक्ति का देश के विकास में सदुपयोग किया जा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए नारी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर, उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सक्रियता हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है ? यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि सम्पूर्ण नारी वर्ग राजनीति के क्षेत्र में ही कूद पड़े और सत्ता का उपभोग करें, अपितु आवश्यकता इस बात की हैं कि नारी को पुरूषों के समकक्ष समाज में सम्मान दिया जाए एवं उन्हें भी महत्वपूर्ण समझा जाए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे एक सजग प्रहरी की भांति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर नारी वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा

करने के साथ–साथ देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके। नारी की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यदि निम्नाकिंत प्रयास किए जाए तो महिलाएं अन्य क्षेत्रों की भांति राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर नारी वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ देश के विकास में भी निश्चय ही अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगी।

स्वस्थ व सकारात्मक सामजिक संरचना

आज के समय में आवश्यकता है एक ऐसी स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की, जो समानता पर आधारित हो, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण न हो, स्त्री एवं पुरूष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें न कि व्यक्तिगत सम्पति के रूप में नहीं। दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठकर पारस्परिक सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें। समाज का कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग के प्रति पूर्वधारणा से ग्रसित न हो ताकि किसी के भी व्यक्तित्व के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न पड़ सके।

संयुक्त परिवार, जो भारतीय समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, के सभी सदस्य एक आदर्श संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में, परिवार के सभी सदस्यों, चाहे स्त्री हो या पुरूष, बालक हो, या बालिका, बेटी हो या बहु, सभी के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास हो सके और हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज में स्वयं को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर सके। यदि घर परिवार में लिंग–भेद नहीं होगा तो महिलाएं राजनीति में भी लिंग–भेद का शिकार नहीं होंगी, ऐसी निश्चित है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता

समाज में किसी भी वर्ग को सम्मान उस सीमा तक मिलता है, जिस सीमा तक समाज की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता करने में उसका योगदान हो। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है, जिन क्षेत्रों और युगों में विशेष रूप से आदि कृषि के युग में उत्पादन के मुख्य साधन में उन्नति करके नारी ने समाज के उत्पादन को एक नई मंजिल पर पहुंचाया, तो बड़े पैमाने पर मातृसत्तातमक व्यवस्था अपने सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, क्रियाकलापों, दर्शन आदि के साथ नारी की महत्ता का गुणगान गाने लगी। सभी पुरातन सभ्यताएं इस बात की साक्षी हैं– चाहे वे मेसोपोटामिया, मिश्र, साइप्रस, यूनान, सिंधूघाटी, चीन किसी भी सभ्यता हो, कि शिकारी अथवा पशुपालक घूमन्तु कबीलों के मुकाबले आदि कृषि वाले कबीले भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सफल थे। इसी समय इन सभी सभ्यताओं में प्रारम्भिक स्तर पर बड़े पैमानों में नारी देवियों के मन्दिर एवं उनकी पूजा का विधान मिलता है। यह बात दूसरी है, कि पशुपालक घुमन्तू कबीले और लोहे के उपयोग से अधिक शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग कर सकने वाले कबीलों से अंततः ये आदि कृषि पर आधारित मातृ प्रधान कबीले पराजित हो गए और हल बैल की खेती के साथ नारी के पराभूत अस्तित्व की कहानी भी इन क्षेत्रों और सभ्यताओं ने प्रारम्भ की। अन्ततः इस बात को मानने से इंन्कार नहीं किया जा सकता कि समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए समाज में उत्पादन तथा वितरण, जो आधारभूत कार्य है, उसमें नारी की सुदृढ़ स्थिति ही उसे वास्तविक समानता का स्थान दिला सकती है।

यदि हम महिलाओं को समाज में सम्मानित एवं समान स्थान दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा देकर पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना सर्वाधिक अनिवार्य है ताकि वे आत्मनिर्भर होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इच्छित दिशा की ओर अपने शक्तिशाली कदम उठाकर देश के हित में अपना यथाशक्ति योगदान दे सकें क्योंकि आत्मनिर्भरता के अभाव में अनेकों योग्य कुशल एवं महत्वाकांक्षी

महिलाएं परावलम्बी हो, कोई अन्य विकल्प न पा सकने के कारण घर की चारदीवारी के अन्दर ही कसमसाती रहती हैं। वास्तव में आर्थिक आत्म–निर्भरता किसी भी देश के विकास की अवस्था के सूचक के रूप मानी जाती है, ठीक इसी प्रकार से नारी का सर्वागीण विकास भी तभी सम्भव है जब वे धनोपार्जन के कार्यो में समान रूप में भाग लें।

कार्ल मार्क्स एवं एंगिल्स ने भी स्वीकार किया है कि– ''स्त्रियों का उद्धार और उनकी पुरूषों से समानता तब तक असम्भव है, जब तक कि उन्हें समाज के उत्पादकीय कार्यों से वंचित करके घरेलू कार्यो तक सीमित रखा जाता है।''

महान साम्यवादी नेता लेनिन ने भी महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को नारी मुक्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप स्वीकार किया है। लेनिन का विचार है कि– ''पुरूषों के समान समानता एवं पूर्ण स्वाधीनता (मुक्ति) के लिए आवश्यक है कि घरेलू क्रियाकलापों का समाजीकरण हो, सामान्य उत्पादन श्रम में महिलाओं की भागीदारी हो, तभी महिलाएं उन समस्त अधिकारों का उपभोग कर सकेगी, जो पुरूष करते हैं।''

महिलाएं किस प्रकार पूर्ण रूप से आत्म–निर्भर हो सकें, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों में से 50 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर समाज में अपना उचित व्यावहारिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर निर्णय ले सकने वाले उच्च पदों को प्राप्त करें।

महिलाओं की आत्म–निर्भर बनाने के प्रयास हेतु यद्यपि अनेक महिला संगठनों द्वारा रोजगार में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जाती है और सरकार ने भी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। रोजगार में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण इस दिशा में एक कारगर कदम हो सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अधिकतम योग्यता एंव कुशलता प्राप्त कर देश के लिए योग्य, प्रतिभावन कुशल व्यक्तित्व के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग एवं सम्प्रदाय का हो, उसे विकास के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, किन्तु यदि शासन की दृष्टि में अनूसूचित जाति एवं जनजाति जैसे वर्ग विशेष की रोजगार में आरक्षण प्रदान करना औचित्यपूर्ण है, तो फिर पिछड़े हुए नारी वर्ग के लिए भी आरक्षण की मांग करना स्वाभाविक एवं औचित्यपूर्ण होगा।

पारिवारिक उत्तरदायित्वों को सहज बनाया जाए

परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है और महिला परिवार में धुरी की भूमिका अदा करती है। प्रकृति ने नारी की संतति–जनन का जो विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, उसके कारण परिवार में मां, पत्नि, बहू के नाते पूरे परिवार के घरेलू उत्तरदायित्वों का भार महिला के ऊपर आ पड़ता है।

हमारे देश की सामाजिक संरचना एंव परम्पराएं भी स्त्री एवं पुरूष के प्रति समान व्यवहार नहीं करती, जबकि शिशु जन्म के लिए स्त्री एवं पुरूष दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उनके पालन–पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व पति एवं पत्नि दोनों का ही है सिर्फ महिला का ही नहीं जबकि वर्तमान आर्थिक संकट की स्थितियों में महिलाएं आर्थिक सहभागिता के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर पुरूष के साथ चलने एवं जीवन रूपी नावं को खेने में बराबरी का स्थान निभाने का प्रयास कर रही हैं ऐसी स्थिति में समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्व केवल नारी पर ही छोड़ दिए जाएं यह उचित नहीं है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि चाहे स्त्री हो या पुरूष, दोनों ही पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्वों को समान रूप से वहन करें, साथ ही आवश्यकतानुसार यथासम्भव एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करें, ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें।

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता प्रसारित करने का प्रयास किया जाए

महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हों, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता प्रसारित करने का पूर्ण प्रयास किया जाए। इस संबंध में शिक्षित एवं जागरूक महिलाए, महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्दों का संचालन कर राजनीतिक जागरूकता प्रसारित करने में अपना योगदान दे सकती हैं।

राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे महिलाओं के लिए पृथक रूप से राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें ताकि उनमें राजनीतिक समझ का विकास किया जा सके। इस कार्य में स्वैच्छिक संस्थाऐं भी प्रत्येक वर्ग को महिलाओं के लिए पृथक–पृथक शिविरों का आयोजन कर उन्हें प्रमुख नागरिक की भांति स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकने योग्य बना सकती हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं, विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों की भी इसमें विशेष भूमिका हो सकती है।

इस प्रकार से सभी वर्गों की महिलाओं को सथासम्भव जागरूक करने का प्रयास सभी वर्गों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि वे राष्ट्र के विकास में अपना रचनात्मक योगदान दे सकें।

प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था

जनसंख्या की दृष्टि से यद्यपि महिलाओं को अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, फिर भी महिलाओं की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध न होने के कारण हम उन्हें पिछडे या अल्पसंख्यक वर्ग किसी में भी सम्मिलित कर सकते हैं। यदि देश की जनसंख्या का अर्द्धभाग निष्क्रिय बना रहेगा तो देश का पूर्ण विकास भी सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस पिछड़े वर्ग को अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की भांति प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ अवधि के लिए आरक्षण पद्धति अपना कर महिलाओं में हीन भावना को दूर करने एवं उनमें राजनीतिक गतिशीलता का विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

नैतिकता एवं देश के गुणात्मक विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो किसी भी वर्ग के आरक्षण के विरूद्ध दिए गए तर्कों में काफी हद तक सत्यता के अंश भी विद्यमान प्रदान करने के स्थान पर यथा–सम्भव उन वर्गों के लिए समान अवसर एवं आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, तो देश के गुणात्मक विकास के लिए बेहतर होगा तथापि यदि हम महिलाओं को समान सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति प्रदान करना चाहते हैं तो कुछ सीमित अवधि के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भांति, सेवाओं के साथ–साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी, प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

इसी संबंध में आवश्यकता इस बात की है कि जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में प्रकाशित 'महिलाओं की स्थिति विषयक रिपोर्ट' में भी कहा जाता है कि 'ग्रामीण स्तर पर भी सांविधिक महिला ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए, जिससे राजनीतिक क्रियाकलापों में महिलाओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। यह पंचायतें, पंचायतों की समानान्तर या प्रतियोगी संगठन न होकर पंचायती राज की स्थापना का ही एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। ग्रामीण स्त्रियों व बच्चों के कल्याण एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था और प्रशासन के लिए इनके पास अपने साधन हों तथा इन्हें

स्वायत्ता प्राप्त हो। यह सुझाव केवल संक्रमण कालीन कदम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समाज की उन परम्परागत मनोवृत्ति को समाप्त करना है, जिसके कारण अधिकतर स्त्रियों अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती हैं या वर्तमान स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती हैं।

राजनीतिक दलों, महिला संगठनों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों का दायित्व

महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशील की प्रोत्साहन देने के लिए समस्त राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि वे स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समय प्रत्याशी चयन नीति में महिलाओं के लिए भी निर्धारित संख्या में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने को भी सम्मिलित करें ताकि वे ऐसे उपलब्ध अवसरों से आकर्षित ही राजनीतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित हो सकें। फलस्वरूप महिला राजनीतिक कार्यक्रर्ताओं में व्याप्त निराशा का स्थान आशा की किरण ले लेगी।

इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों को इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनके राजनीतिक दलों में लम्बे समय से कार्यरत महिला कार्यकर्ता को उसकी सक्रियता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर अपने राजनीतिक संगठन के तहत उच्च पदों पर आसीन होने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उच्च पदों को प्राप्त करने का आकर्षण सक्रिय महिला राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित कर सके।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि दल में सक्रिय, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी, कार्यकर्ताओं की, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, विशेष रूप से आदर एवं सम्मान प्रदान किया जाए ताकि अन्य महिलाओं को भी राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिल सके।

महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशीलता के प्रादुर्भाव के लिए महिला संगठनों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों को भी अपना महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान देना होगा। महिला संगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का दायित्व है कि महिलाओं को साक्षर एवं अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनाने हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। उन्हें संगठित करें ताकि वे स्वयं अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु संगठित संघर्ष में हिस्सा ले सकें क्योंकि मात्र कानूनों के निर्माण से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता।

संदर्भ

1 त्रिपाठी, विनायक. एवं त्रिपाठी, पंतजली. (2014) *लोकतंत्र और चुनाव सुधार,* ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2 जौली, सुरजीत कौर. (संपा) (2007) *गांधी एक अध्ययन, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।*

3 जोशी, आर. पी. एवं मंगलानी, रूपा. (संपा) (2003) *भारत में पंचायती राज,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

4 विनोबा, (1997) *ग्राम पंचायत,* सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।

5 *कुरूक्षेत्र,* मासिक पत्रिका, जनवरी 2014, वर्ष 60, अंक 3।

6 खंडेला, मानचन्द. (2002) *महिला सशक्तिकरण,* अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।

7 मैथव, अब्राहम. (2005) *रोल ऑफ पंचायत इन वेलफेयर ऐडमिनिस्ट्रेशन,* कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली।

8 मलिक, शमशेर सिंह. (2002) *द न्यू पंचायती राज,* आलेख पब्लिशर, जयपुर।

9 राजगुरू, इरादास. (2002) *वूमेन एजूकेशन इन राजस्थान,* शोधक, जयपुर।

□□□